न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 37/2016 दायरा दिनांक : 25.01.2016

उनवान

राधेश्याम आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी नेहरावद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ईश्वर चन्द अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 05.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जिला कलेक्टर, झालावाड के प्रकरण संख्या – 250/अपील/2009 निर्णय दिनांक 07.12.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में सरकार की ओर से तहसीलदार के द्वारा अन्तर्गत धारा 14 (4) पेश

कर यह कथन किया गया कि ग्राम नेहरावद, तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 4 बीघा का आवंटन दिनांक 10.02.83 को अप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया था और अप्रार्थी की गैर खातेदारी में आराजी फोती इंतकाल से दर्ज की जा चुकी है । अप्रार्थी के द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटन निरस्त किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक दर्ज किया जाये । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आवंटन सन् 1983 में किया गया जिसका इंतकाल भी खोला गया । वह जमीन पर फसल करते थे । सन् 1985 और 1986 के लगभग उनका देहान्त हो गया है उसके उपरान्त अपीलांट आराजी को काश्त करता था । सन् 1998 में आराजी अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज की गई । अपीलांट मानसिक रूप से बीमार एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण काश्त नहीं कर पाया । आराजी पर अपीलांट का कब्जा है । इसकी देखभाल उसका पुत्र अशोक करता है । पटवारी हल्का ने दुर्भावनावश निरस्त कराने की कार्यवाही की जिसका कोई ज्ञान अपीलांट को नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । आवंटन की शर्तों की पालना की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया

गया जो दिनांक 08.01.2016 को मिली उसके उपरान्त अपीलांट बीमार हो गया । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता को आराजी आवंटित हुई थी । जिस पर उन्होंने आवंटन की शर्तों के अनुसार काश्त की थी । पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट के पक्ष में गैर खातेदारी का इंतकाल खोला गया और अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है । तामील अपीलांट को नहीं करवायी गयी है । तामील विधि सम्मत नहीं है । अपीलांट ने अपने कब्जे के समर्थन में कुछ खसरा गिरदावरी की प्रतियां भी पेश की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एवं उसके पिता ने काश्त नहीं की है । आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है । अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई । तहसीलदार के द्वारा जो

प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसके साथ रिपोर्ट पटवारी सलंग्न की गई है जिसमें यह कथन किया गया है कि आवंटन के पश्चात प्रथम 3 वर्षों में काश्त नहीं की गई है और न वर्तमान में काश्त हो रही है । खसरा गिरदावरी की प्रमाणित है जो सम्वत 2038–41 की है । इस खसरा गिरदावरी में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 4 बीघे में सम्वत 2040 में ज्वार, सम्वत 2041 में तिल और उडद और सम्वत 2042 में ज्वार किया जाना अंकित है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2062 में वादग्रस्त आराजी असिंचित में फसल किया जाना अंकित है और सम्वत 2063–65 में आराजी पडत अंकित की गई है । इस प्रकार खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति के अनुसार सम्वत 2040, 2041 और 2042 में आराजी में काश्त की गई थी । सम्वत 2040, 2041 और 2042 की गिरदावरी आवंटन के तुरन्त बाद की है जिसमें आराजी में काश्त किया जाना अंकित है । साथ ही सम्वत 2062 में भी आराजी में काश्त किया जाना खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति में अंकित है । इन तथ्यों के आधार पर हम अपीलांट को न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर आर टी 2016 (1) पेज 82 में यह उद्धरत किया गया है कि आवंटन के 7 वर्ष बाद पटवारी हल्का ने प्रतिकूल रिपोर्ट दी है । यह आरोप नहीं है कि जी आर आवंटन हेतु पात्र नहीं था । 45 वर्ष पूर्व आवंटन किया गया था । इन तथ्यों के आधार पर सरकार की अपील खारिज की गई है और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन के 3 वर्ष पश्चात आवंटी स्वतः ही खातेदार हो जाता है ।

अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही गई थी । हम न्याय हित में उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । अतः न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2009 अपास्त किया जाता है । प्रकरण विद्वान जिला कलेक्टर, झालावाड को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा